संलग्नक - 1

उत्तर प्रदेश सरकार
उद्योग विभाग
अनुभाग-11

विविध

30 नवम्बर, 1989 ई०

सं० 8425-भा० उ0/18-11—223-भा०-88—उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिये एक प्राधिकारी का गठन करते हैं, जिसे "सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकारी" कहा जायेगा ।

2—इस प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे—

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से कम न हो — पदेन सदस्य/अध्यक्ष

(2) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से कम का न हो — पदेन सदस्य

(3) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्वायत्त शासन विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से कम का न हो — पदेन सदस्य

(4) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, या उनका नामांकिती, जो संयुक्त सचिव के पद से कम का न हो — पदेन सदस्य

(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, कानपुर — पदेन सदस्य

(6) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम .. — पदेन सदस्य

(7) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् या उनका नामांकिती, जो मुख्य अभियन्ता के पद से कम का न हो — पदेन सदस्य

(8) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश — पदेन सदस्य

(9) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, वाराणसी — पदेन सदस्य

(10) कलेक्टर और जिला मैजिस्ट्रेट, जौनपुर — पदेन सदस्य

(11) मुख्य कार्यपालक अधिकारी — सदस्य/सचिव

3—उक्त प्राधिकारी का मुख्यालय सतहरिया में होगा ।

अनुसूची
औद्योगिक विकास क्षेत्र

जिला	तहसील	क्रम-संख्या	ग्राम
1	2	3	4
[जौन]पुर	मछलीशहर	1	बहोरिकपुर
		2	मुगराडीह
		3	घोरहरा
		4	रामपुर
		5	विजयपुरगढ़
जौनपुर	मछलीशहर	6	सरोखनपुर
		7	सराय झींगुर
		8	सराय रायचन्द
		9	चक मलहट
		10	चिरपीलपुर
		11	सतहरिया
		12	आदेपुर
		13	अमोध
		14	कंचोरा
		15	सरांया
		16	मसोट
		17	वनकट
		18	वारापुर
		19	हिम्मतपुर
		20	रामकला
		21	बेचीपुर
		22	पनवारा
		23	मुरादपुर
		24	समरिया
		25	मरवाबोदक
		26	सराय पंवारा
		27	सरायां
		28	कुंवरपुर
		29	सोंपा
		30	बिरचलपुर
		31	धोरेपुर
		32	पतिहारा
		33	बटनहित
		34	खानापुर
		35	सराय मालगहोपुर
		36	रामपुर कुकुराही
		37	बरेठी

आज्ञा से,
प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव,

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 8425-Bha. U./XVIII-11—228-Bha.-88, dated November 30, 1989 for general information :

No. 8425-Bha.U./XVIII-11—228-Bha.-88

November 30, 1989

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U. P. Act no. 6 of 1976), the Governor is pleased to constitute an authority

... the Satharia Industrial Development Authority for the industrial development ... mentioned in the Schedule given below :

2. The Authority shall consist of the following :

(i) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Industries Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	*Ex-officio Member/ Chairman.*
(ii) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Public Works Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	*Ex-officio Member.*
(iii) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Local Self-Government Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	Ditto.
(iv) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	Ditto.
(v) The Managing Director, U. P. State Industrial Development Corporation, Kanpur.	Ditto.
(vi) The Chairman, Uttar Pradesh Jal Nigam.	Ditto.
(vii) The Chairman, UPSEB or his nominee not below the rank of Chief Zonal Engineer.	Ditto.
(viii) The Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh.	Ditto.
(ix) Chief Engineer, Irrigation, Varanasi.	Ditto.
(x) Collector and District Magistrate, Varanasi.	Ditto.
(xi) Chief Executive Officer	*Member Secretary.*

3. The headquarters of the Authority shall be at Satharia :

Schedule

Industrial Development Area

District	Tehsil	Serial no.	Village
1	2	3	4
Jaunpur	Machhlishahr	1	Yakorikpur,
		2	Mangardeeh,
		3	Dhaurhara,
		4	Rampur,
		5	Bijadharmau,
		6	Farukhanpur,
		7	Sarai Doongur,
		8	Sarai Balchanda,
		9	Chak Malahat,
		10	Viralhanpur,
		11	Satharia,
		12	Adampur,
		13	Amauli,
		14	Usmaura.
Jaunpur	Machhlishahr	15	Saraiyan,
		16	Bharai,
		17	Varhat,
		18	Darapur,
		19	Himmatpur,
		20	Sajalkala,
		21	Devipur,
		22	Pasewara,
		23	Muradpur,
		24	Hosuriya,
		25	Maryadadak,
		26	Sarai Pawara,
		27	[illegible]
		28	Kuwarpur,
		29	Sangra,
		30	Birbalpur,
		31	Beripur,
		32	Patihara
		33	Vatanhit,
		34	Khakhapur,
		35	Sarai Malegaddipur,
		36	Rampur Kukrahi,
		37	Barethi,

By order,
PRABHAT KUMAR,
Principal Secretary.

30 नवम्बर, 1989 ई०

सं० 8425 (1)–गा० उ०/18-11—221-गा-88—उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिये, एक प्राधिकारी का गठन करते हैं, जिसे "सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकारी" कहा जायेगा।

2—इस प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे—

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनका नामनिर्दिष्ट जो संयुक्त सचिव के पद से कम का न हो	पदेन सदस्य/ अध्यक्ष
(2) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका नामनिर्दिष्ट जो संयुक्त सचिव के पद से कम का न हो	पदेन सदस्य
(3) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, स्थानीय शासन विभाग या उनका नामनिर्दिष्ट जो संयुक्त सचिव के पद से कम का न हो	पदेन सदस्य
(4) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनका नामनिर्दिष्ट जो संयुक्त सचिव के पद से कम का न हो	पदेन सदस्य
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक निगम, कानपुर	पदेन सदस्य
(6) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश जल निगम	पदेन सदस्य
(7) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् या उनका नामनिर्दिष्ट जो मुख्य जोनल अभियन्ता से कम पद का न हो	पदेन सदस्य

(8) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश — पदेन सदस्य

(9) मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, गोरखपुर — पदेन सदस्य

(10) कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर — पदेन सदस्य

(11) मुख्य कार्यपालक अधिकारी — सदस्य/सचिव

3—उक्त प्राधिकारी का मुख्यालय गोरखपुर में होगा।

अनुसूची

औद्योगिक विकास क्षेत्र

जिला	तहसील	क्रम-संख्या	ग्राम
1	2	3	4
गोरखपुर	सहजनवा	1	कलेसर
		2	बालापार
		3	बमुधा
		4	पिपरौली
		5	बईपार
		6	अमरौता
		7	बेलपुर
		8	रावतपार
		9	सुतनिया
		10	बरगह
		11	गाही
		12	कुमरौल
		13	नयवार
		14	मुजैला
		15	सेंदुआ
		16	कुसुम्ही
		17	नई बांस
		18	रेलखार
		19	तापीपार
		20	कालीपुर
		21	सरैया
		22	धानचक
		23	बरहीवा
		24	हुरैया
		25	कोलिया
		26	अकबंगा
		27	गुरौली पूर्व
	सदर	28	गुरौली कुसुर्ग
		29	छपिया
	सहजनवा	30	नरकटाहा
		31	कजुपार
		32	फतेहचक
		33	नवापार
		34	मझरिया
		35	मनोईपुर
		36	हरनौवा
		37	बेलवरा
		38	(सुबियावा)
	सदर	39	गोदर

आज्ञा से,

प्रभात कुमार,

प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 8425(1)-Bha. U./XVIII-11—228-Bha.-88, dated November 30, 1989 for general information:

No. 8425(1)-Bha. U./XVIII-11—228-Bha.-88

November 30, 1989

In exercise of the powers under section 3 of the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976 (U. P. Act no. 6 of 1976), the Governor is pleased to constitute an Authority to be called the Gorakhpur Industrial Development Authority for the industrial development area mentioned in the Schedule given below:

2. The Authority shall consist of the following:

(i) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Industries Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	*Ex-officio member/ Chairman.*
(ii) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Public Works Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	*Ex-officio member.*
(iii) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh Local Self-Government Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	Ditto.
(iv) The Secretary to the Government, Uttar Pradesh, Finance Department or his nominee not below the rank of Joint Secretary.	Ditto.
(v) The Managing Director, U. P. State Industrial Development Corporation, Kanpur.	Ditto.
(vi) The Chairman, Uttar Pradesh Jal Nigam.	Ditto.
(vii) The Chairman, UPSEB or his nominee not below the rank of Chief Zonal Engineer.	Ditto.
(viii) The Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh.	Ditto.
(ix) Chief Engineer, Irrigation, Gorakhpur.	Ditto.
(x) Collector and District Magistrate, Gorakhpur.	Ditto.
(xi) Chief Executive Officer ..	*Member-Secretary.*

3. The headquarters of the Authority shall be at Gorakhpur.

Schedule

Industrial Development Area

District	Tehsil	Serial no.	Name of village
1	2	3	4
Gorakhpur	Sahjanwa	1	Kalesar.
		2	Haspaar.
		3	Basudha.
		4	Piprauli.
		5	Dalpaar.
		6	Amroa.
		7	Jaitpur.
		8	Rawatpaar.
		9	Jhungia.
		10	Barghar.
		11	Mahil.
		12	Kumrauli.
		13	Nagvar.
		14	Bhujaila.
		15	Talndua.
		16	Kusumbhi.
		17	Nalvaa.
		18	Raitkhaas.
		19	Sahilpaar.
Gorakhpur	Sahjanwa	20	Khanipur.
		21	Sarriya.
		22	Danolak.
		23	Barhua.
		24	Barriya.
		25	Kolla.
		26	Akslanga.
		27	Gurauli Khurd.
	Sadar	28	Gurauli Bujurg.
		29	Chapia.
	Sahjanwa	30	Narktaha.
		31	Kakuar.
		32	Fatehahak.
		33	Nandapaar.
		34	Majharia.
		35	Madhipur.
		36	Imada.
		37	Balnajra.
		38	Jadiyawa
	Sadar	39	Nousar

By order,

PRABHAT KUMAR,

Principal Secretary.

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 13-1-90, भाग 1-क में प्रकाशित ।

[प्रतिलिपि पुस्तकार्थ प्रेषित—]

पी०एस०यू०पी०ए०—2 सा० (उद्योग)—5-3-90—200 (मोनो) ।

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद

[illegible] 46] इलाहाबाद, शनिवार, 12 दिसम्बर 1992 ई० (अग्रहायण 21, 1914 शक संवत्) [संख्या 50

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें ।

विषय	पृष्ठ-संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
सम्पूर्ण गज़ट का मूल्य ..		1,025
भाग 1—विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	1147-1166	
भाग 1-क—नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1865-1917	509
भाग 1-ख (1)—औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय	—	
भाग 1-ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय ..	—	
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाईकोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गज़ट और दूसरे राज्यों के गज़टों का उद्धरण ..	—	325
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगर प्रशासन, खण्ड-ख—नोटीफाइड और टाउन एरिया, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—पंचायती राज ..	625-630	325
भाग 4—निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ..	—	325
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश ..	—	325
भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये, (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		325
भाग 6-क—भारतीय संसद के ऐक्ट	—	
भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये, (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	325
भाग 7-क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7-ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ..	—	
भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि ..	375-278	225
स्टोर्स-पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र	263-288	475

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

गोपन विभाग

अनुभाग-1

अवकाश

19 नवम्बर, 1992 ई०

सं० 7/2/9/92-सी० एक्स० (1)—न्यायमूर्ति श्री विजय बहुगुणा, न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को दिनांक 18 मई, 1992 से 23 मई, 1992 तक (6 दिन) का अवकाश पूरे भत्तों के साथ स्वीकृत किया गया है और उन्हें इस अवकाश के पहले रविवार दिनांक 17 मई, 1992 तथा अन्त में रविवार, दिनांक 24 मई, 1992 से 3 जुलाई, 1992 तक ग्रीष्म अवकाश सम्मिलित करने की अनुमति दी गई।

आज्ञा से,
विजय कृष्ण सक्सेना,
मुख्य सचिव।

अनुभाग-4

विविध

17 नवम्बर, 1992 ई०

सं० 7/2/1/92-सी०एक्स०-4—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सचिवालय में निजी सचिव, ग्रेड-2, श्री के०सी० वर्मा को वेतनमान रु० 2000-60-2300-द०रो०-75-3200-100-3500 में रु० 2300.00 के प्रक्रम पर दिनांक 1 सितम्बर, 1992 से दक्षतारोक पार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। फलस्वरूप दिनांक 1 सितम्बर, 1992 से श्री वर्मा का वेतन रु० 2300.00 से बढ़कर रु० 2375.00 प्रतिमास हो जायेगा।

सं० 7/10/81-सी०एक्स०-4—उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सचिवालय में निजी सचिव ग्रेड-2, श्री राम बाबू श्रीवास्तव को वेतनमान रु० 2000-60-2300-द०रो०-75-3200-100-3500 में रु० 2300.00 के प्रक्रम पर दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से दक्षतारोक पार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। फलस्वरूप दिनांक 1 अप्रैल, 1992 से श्री श्रीवास्तव का वेतन रु० 2300.00 से बढ़कर रु० 2375.00 प्रतिमास हो जायेगा।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस]

अनुभाग-9

अधिसूचना

12 नवम्बर, 1992 ई०

सं० 5987/छः-पु०-9—92-20 (10) (23)-80—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, श्री रति राम, सेवा निवृत्त स्पेशल जज को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 28 फरवरी, 1993 तक के लिये कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उन्हें उक्त संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जाने वाली सभी शक्तियाँ प्रदान करते हैं जिनका प्रयोग वे हरिद्वार जिले की सीमा के भीतर करेंगे।

आज्ञा से,
प्रभात कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 5987/VI-P-9-92-20(10) (23)-80, dated November 12, 1992:

No. 5987/VI-P-9-92-20(10) (23)-80

November 12, 1992

In exercise of the powers under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint with effect from the date of taking over charge up till February 28, 1993, Shri Rati Ram, retired Special Judge, as Executive Magistrate to be known as Special Executive Magistrate and to confer on him all such powers of Executive Magistrate as are conferrable under the said Code on the Executive Magistrates, to be exercised within Haridwar District.

By order,
PRABHAT KUMAR,
Pramukh Sachiv.

न्याय विभाग

अनुभाग—3

विविध

14 अक्तूबर, 1992 ई०

सं० 1720/सात–न्याय–3—35 (ओ० आर०)–91—शासकीय विज्ञप्ति संख्या 2354/सात–न्याय–3–91—35 (ओ० आर०)–91, दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 के क्रम में तथा समय–समय पर संशोधित प्राविन्शियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट 1920 (1920 का 5) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय, श्री महेश नाथ मिश्र, राजकीय आदाता, कानपुर नगर की नियुक्ति की अवधि में 1 अप्रैल, 1992 से 30 जून, 1994 तक के लिए वृद्धि प्रदान करते हैं।

सं० 1722/सात–न्याय—3–63 (ओ० आर०),91—शासकीय विज्ञप्ति संख्या 1718/सात–न्याय–3—63 (ओ० आर०)–91 दिनांक 12 दिसम्बर, 1991 के क्रम में तथा समय–समय पर संशोधित प्राविन्शियल इन्सालवेन्सी ऐक्ट, 1920 (1920 का 5) की धारा 57 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल महोदय, श्री अमरनाथ टंडन, राजकीय आदाता, वाराणसी की नियुक्ति की अवधि में दिनांक 7 फरवरी, 1992 से एक वर्ष के लिए वृद्धि प्रदान करते हैं।

प्रमोद कुमार सरीन,
सचिव, न्याय एवं विधि
परामर्शी।

उद्योग विभाग

अनुभाग–11

अधिसूचना

17 अक्तूबर, 1992 ई०

सं० 4330–माउ/18–11—92—उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (अधिनियम संख्या 6 सन् 1976) की धारा 2 के खण्ड (घ) और धारा 3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, सरकारी अधिसूचना संख्या 8425 (1) माउ/18–11–223–मा–88, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 एवं शुद्धि-पत्र अधिसूचना संख्या 2935–माउ/18–11—223–मा–88, दिनांक 19 दिसम्बर, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 8425 (1) माउ/18–11—223–मा–88, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 की अनुसूची में स्तम्भ–3 और 4 में जिला गोरखपुर, तहसील सदर एवं सहजनवां में निम्नलिखित प्रविष्टियां बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :

अनुसूची

जिला	तहसील	क्रम संख्या	ग्राम
1	2	3	4
गोरखपुर	सदर	39	भिलौरा खुर्द
		40	भिलौरा बुजुर्ग
गोरखपुर	सदर	41	नैबलपुर
		42	एकला
		43	अहिरौली पटखौली
	सहजनवां	44	सहबाजगंज
		45	रहिमाबाद
		46	जिगना
		47	सहिजना
		48	तेनुहारी
		49	मदुई
		50	रानीपुर
		51	जगदीशपुर
		52	मरसाड़
		53	अकिलापार
		54	खरैला
		55	उसका
		56	हरैया कानूनगो
		57	अनगावां
		58	पिपरौली खुर्द
		59	मिटौरावल
		60	डोमहरमाफी
		61	उन्नीखोर
		62	महुआपार
		63	जोन्हिया
		64	सीहापार
		65	हरिवंशपुर
		66	मन्धा
		67	पिपरा
		68	पाहासाढ़
		69	बोकटा
		70	लुहुई

1	2	3	4
गोरखपुर	महुअनवा	71—[illegible]	
		72—बरहार खुर्द	
		73—बरवार बुजुर्ग	
		74—चकमोर	
		75—केशोपुर	
		76—टेकुआपाली	
		77—गोपलापुर	

आज्ञा से,
डी० के० मित्तल,
विशेष सचिव (गन्ना उद्योग)।

नगर विकास विभाग

अनुभाग–1

विविध

16 नवम्बर, 1992 ई०

सं० 2196 एम/9–1–92–3–ना–90—उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 1 सन् 1904) तथा यू० पी० टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 6 की उपधारा (2–क) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 (2) के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये एवं अधिसूचना संख्या 1380 एम/9–1–91–3 ना 90, दिनांक 15 अक्तूबर, 1991 को निरस्त करते हुये नगर क्षेत्र समिति, कछौना पतसेनी, जनपद हरदोई में शासन द्वारा नामित सदस्य महिला एवं सफाई मजदूर वर्ग के सदस्यों का मनोनयन निरस्त करते हुये उक्त नगर क्षेत्र समिति, कछौना पतसेनी, जनपद हरदोई में मनोनीत करते हुए उनके स्थान पर श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री रामू, निवासी मोहल्ला नगर वार्ड संख्या 3, कछौना पतसेनी, श्रीमती [illegible] देवी पत्नी श्री सत्य नारायण, रेलवेगंज, इस्लामपुर, वार्ड नं० 1 कछौना पतसेनी तथा श्री कुंवर पुत्र श्री बल्देव, मो० रेलवेगंज, इस्लामपुर, वार्ड नं० 1 को क्रमशः महिला तथा सफाई मजदूर वर्ग के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

सं० 2186 एम/9–1–92–18 ना–90—यू० पी० टाउन एरिया अधिनियम, 1914 (यू०पी० ऐक्ट संख्या 2 सन् 1914) की धारा 6 की उपधारा (2–क) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 (2) के प्रथम एवं द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय अधिसूचना संख्या 2822/9–1–90, दिनांक 19 अप्रैल, 1990 का अंशिक संशोधन करते हुये टाउन एरिया कमेटी, रामपुर मनिहारान में शासन द्वारा पूर्व में एक सफाई मजदूर तथा नामित दो महिला वर्ग के सदस्यों का मनोनयन निरस्त करते हैं तथा उनके स्थान पर उक्त टाउन एरिया कमेटी, रामपुर मनिहारान, जनपद सहारनपुर में श्रीमती कैलाश कुमार पत्नी श्री फूल सिंह, रामपुर मनिहारान, श्रीमती [illegible] पत्नी श्री शिव प्रसाद [illegible], रामपुर मनिहारान तथा श्रीमती कृष्णा पत्नी श्री [illegible] बाल्मीकि, रामपुर मनिहारान को क्रमशः महिला तथा सफाई मजदूर वर्ग के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट करते हैं।

आज्ञा से,
गुरु [illegible],
विशेष सचिव।

आवास विभाग

अनुभाग—3

संशोधन

28 सितम्बर, 1992 ई०

सं० 2812/9–आ–3–92–39 एम०यू०पी०/90—चूंकि गाजियाबाद की महायोजना में नीचे दी हुई अनुसूची में यथावर्णित संशोधन करने के संबंध में आपत्तियां और सुझाव करने की एक सूचना समाचार-पत्र "दैनिक [illegible]" एवं "[illegible] गजट" में क्रमशः 17 फरवरी, 1991 एवं 18 दिसम्बर, 1991 के अंक में प्रकाशित की गयी थी,

और चूंकि उपर्युक्त सूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया गया,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल गाजियाबाद की महायोजना में नीचे दी गयी अनुसूची में यथावर्णित निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—